28/05/25

अधिवक्ता प्रार्थी उप० / प्रार्थी अधिवक्ता को अपीलीय की तारीख तक पूर्व के पश्चात अवसर दिये जाकर दिनांक 23/04/25 को आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत कार्यवाही करने की हिदायत दी गई थी। परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता ने अपीलीय की तारीख आज तक नहीं करवाई है। अतः अविलम्ब प्रकरण को आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत कार्यवाही की जाकर निरस्त किया जाता है। प्रकरण सं. 2024/643 अनवारी हिदायत सिंह बनाम गुरदेव सिंह व अन्य वर्तमान स्थिति पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली दफ्तर नस्ल की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:23 IST
Reason: SelfAttested